न्यायालय, राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली

पीठासीन अधिकारी : डॉ0 भास्कर बिश्नोई, आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या : 39/2011 G.C.M.S. No. 2011/00097 दर्ज दिनांक : 21.06.2011

अपीलार्थिगण:

1. अर्जुनसिंह पुत्र श्री रहमान
2. भोमसिंह पुत्र श्री रहमान
3. गिरदावरसिंह पुत्र श्री घीसूसिंह
4. भीमसिंह पुत्र श्री सुभान
5. वीरदासिंह पुत्र श्री सुभान
6. प्रतापसिंह पुत्र श्री सुभान समस्त जातियान मेरात निवासी कोलपुरा, तहसील रायपुर, जिला ब्यावर।

बनाम

प्रत्यर्थिगण:

1. अनोपसिंह पुत्र श्री समदू उर्फ समन्द्र सिंह
2. रसालसिंह पुत्र श्री समदू उर्फ समन्द्र सिंह
3. दाखू बेवा मदनसिंह
4. धूलसिंह पुत्र विरू समस्त जातियान मेहरात निवासी कोलपुरा
5. बाबू पुत्र श्री अमरा
6. मादा पुत्र अमरा
7. सायर पुत्र समा
8. बाबू पुत्र समा
9. जोधा पुत्र समा
10. प्रताप पुत्र समा
11. बींजा पुत्र देवाराम समस्त जातियान रेगर
12. नारायण पुत्र बाला
13. कंवराई बेवा बाला
14. उदा पुत्र लाला
15. लिम्बा पुत्र कमा
16. असरफ पुत्र मोती फौत के वारिसान
    16/1 बन्नासिंह
    16/2 सोहनसिंह
17. भंवरू पुत्र मोती जातियान मेहरात निवासी कोलपुरा तहसील रायपुर जिला ब्यावर।
18. लेण्ड बोर्ड तहसीलदार रायपुर
19. राज. सरकार जरिये कलक्टर, पाली।

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध सहायक कलक्टर रायपुर के राजस्व वाद संख्या 117/2008 (29/1986) बअनवान अर्जुनसिंह बनाम अनोपसिंह वगैरह में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 06.03.2009 एवं प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 परिसीमा अधिनियम 1963

उपस्थित–

1. श्री श्याम पंचारिया, विद्वान अभिभाषक अपीलांट
2. सरकारी पैरोकार रेस्पोंडेंट संख्या 18 व 19 तथा शेष रेस्पोंडेंट बावजूद सूचना अनुपस्थित।

निर्णय

दिनांक: 27.03.2025

अपीलान्ट की ओर से जरिये अधिवक्ता यह अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत सहायक कलक्टर रायपुर के राजस्व वाद संख्या 117/2008 (29/1986) बअनवान अर्जुनसिंह बनाम अनोपसिंह वगैरह में

Scanned with OKEN Scanner

पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 06.03.2009 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई हैं। प्रकरण संक्षेप में निम्नानुसार है–

यह कि वादीगण/अपीलांट्स की ओर से अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वादग्रस्त आराजी सरहद मौजा कोलपुरा पटवार क्षेत्र बाबरा तहसील रायपुर की भूमि जो वादीगण अपीलांट व प्रतिवादीगण संख्या 1 से 4 के पैतृक व पुश्तैनी भूमि होने को लेकर एक वाद अंतर्गत धारा 53, 88, 188 व 92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम विरूद्ध रेस्पोंडेंट्स प्रस्तुत किया। उक्त वाद में प्रतिवादीगण/रेस्पोंडेंट्स की ओर से एक प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 7 नियम 11 सीपीसी का प्रस्तुत किया। जिसका जवाब वादीगण/अपीलांट्स की ओर से प्रस्तुत कर उपरोक्त आवेदन आदेश 7 नियम 11 सीपीसी में यह वर्णित किया कि प्रतिवादी छीतर, नसीबा, जफरू, जरीफी, नाथू दावा पेश करने से पहले फौत हो चुके हैं। इस कारण वादी/अपीलांट्स का वाद Barred by law है। इस कारण वादी/अपीलांट्स का वाद खारिज फरमाया जावें। उपरोक्त आवेदन पर अधीनस्थ न्यायालय ने बाद बहस वादी/अपीलांट्स का वाद खारिज कर दिया। जिससे व्यथित होकर अपीलांट द्वारा माननीय राजस्व मण्डल अजमेर के समक्ष प्रार्थना पत्र/टीए/2395/2009/पाली प्रस्तुत किया गया, जिसके अंतर्गत माननीय राजस्व मण्डल द्वारा अपने निर्णय दिनांक 25.04.2011 के जरिये वादी/अपीलांट्स द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र चलने योग्य नहीं होने से खारिज किया गया एवं प्रार्थी/अपीलांट्स को सक्षम न्यायालय में अपील प्रस्तुत करने के प्रावधानों के अनुसार अपील प्रस्तुत करने हेतु स्वतंत्रता प्रदान करने का निर्णय पारित किया गया। माननीय राजस्व मण्डल के आदेश की पालना में वादी/अपीलांट्स द्वारा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 06.03.2009 से व्यथित होकर उक्त अपील विरूद्ध रेस्पोंडेंट्स श्रीमान न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई हैं। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित जैर अपील निर्णय व डिक्री सर्वथा विधिविरूद्ध है। अपीलांट्स द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वादग्रस्त आराजी के संबंध में प्रस्तुत वाद पक्षकारों के महत्वपूर्ण अधिकारों के निर्णय हेतु प्रस्तुत किया गया तथा न्यायालय के समक्ष जब भी ऐसे कोई पक्षकार जिन्हें गलत रूप से जोडा गया हो या ऐसे पक्षकार को नहीं जोडा गया हो तो न्यायालय आदेश 1 नियम 10 सीपीसी के अंतर्गत स्वयं द्वारा या हितबद्ध पक्षकारों के आवेदन पर नाम जोड़ सकेगी व नाम हटा सकेगी। किन्तु रेस्पोंडेंट्स के आवेदन में जो पक्षकार मृत बताये गये, उनके विरूद्ध किसी भी प्रकार की कोई सहायता अपीलांट्स द्वारा वाद के अंतर्गत नहीं चाही गई थीं। जबकि उपरोक्त सभी रेस्पोंडेंट्स अपीलांट्स द्वारा प्रस्तुत वाद के अंतर्गत बतौर Formal पक्षकार संयोजित थें तथा खातेदारी अधिकारों की घोषणा प्रतिवादी/रेस्पोंडेंट्स संख्या 1 से 4 के विरूद्ध चाही गई थी तथा बाद घोषणा बंटवाड़ें की सहायता चाही गई थीं। इस प्रकार वादी/अपीलांट्स द्वारा प्रस्तुत वाद प्रारंभिक स्तर पर प्रतिवादी/रेस्पोंडेंट्स संख्या 1 से 4 के विरूद्ध प्रस्तुत किया गया था। किन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने वादी/अपीलांट्स के वाद के अभिवचनों व जवाब प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दरकिनार कर दिया। वाद के अंतर्गत प्रतिवादी/रेस्पोंडेंट्स संख्या 5 से 27 को केवल मात्र औपचारिक तौर पर पक्षकार बनाया गया। इस कारण दावा आदेश 7

Scanned with OKEN Scanner

नियम 11 डी. सीपीसी के प्रार्थना पत्र के आधार पर खारिज करने का प्रश्न ही नहीं उठता, क्योंकि आदेश 7 नियम 11 डी. जापता दीवानी के तहत दावा उस सूरत में खारिज किया जाता है जब दावा Barred by law हों, दावा आदेश 7 नियम 11 डी. की परिधि में नहीं होने के बावजूद दावा खारिज कर अधीनस्थ न्यायालय ने विधि में प्रदत्त प्रावधानों की पूर्णतया अवहेलना की हैं। इसके अतिरिक्त प्रकरण में उक्त तथ्य भी गौरतलब है कि हस्तगत प्रकरण में दावा अंतर्गत धारा 88, 188, 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत प्रस्तुत किया गया था, जिसके तहत वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 से 4 के मध्य बंटवाड़ा होना था। बंटवाड़ा कानूनी प्रावधानों के तहत ना तो कभी Abate होता है एवं न ही कभी मृतक के विरूद्ध Nullity माना जायेगा। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त तथ्य को भी नजरअंदाज कर दिया गया। इसके अतिरिक्त न्याय का यह प्रतिपादित सिद्धांत है कि यदि कोई वाद मृत व्यक्ति के विरूद्ध पेश कर दिया गया है तो न्यायालय द्वारा नरम रूख अपनाते हुए मृतक का नाम तर्क कर विधिक वारिसान को रेकर्ड पर लेते हुए अग्रिम कार्यवाही करने के प्रावधान अंतर्निहित है। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा महत्वपूर्ण कानूनी नजीरों का सादरपूर्वक अवलोकन नहीं किया गया। अंततः इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधि में प्रदत्त कानूनी प्रावधानों की अवहेलना कर प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के विपरीत जाकर विधिविरूद्ध रूप से जैर अपील निर्णय व डिक्री पारित की गई हैं। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर उक्त जैर अपील निर्णय व डिक्री अपास्त फरमाई जावें।

म्याद के बिंदु पर निर्णय सुरक्षित रखते हुए अपील अपीलांट दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोंडेंट को जरिये सम्मन तलब किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई।

प्रकरण में विद्वान अधिवक्तागण उभयपक्ष की बहस सुनी गई। हमनें बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रकरण का विस्तृत विवेचन व निर्णयन निम्नानुसार है–

1. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय में अपीलांट द्वारा रेस्पोंडेंट्स प्रतिवादीगण के विरूद्ध खातेदारी अधिकारों की घोषणा, बंटवाडा व स्थाई निषेधाज्ञा बाबत वादपत्र अंतर्गत धारा 53, 88, 188 व 92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 दिनांक 18.02.2006 को पेश किया। जिसे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आदेश 7 नियम 11 डी सपठित धारा 151 सीपीसी के अंतर्गत निर्णय व डिक्री दिनांक 06.03.2009 द्वारा वादपत्र को Suit against a dead person – suit a nullity मानते हुए वादपत्र खारिज कर दिया गया। जिसके विरूद्ध अपीलांट्स वादीगण द्वारा हस्तगत अपील दिनांक 10.06.2011 को प्रस्तुत की गई। विलंबकाल के संबंध में अपीलांट द्वारा अपील के साथ धारा 5 परिसीमा अधिनियम 1963 का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलांट्स को विधि की जानकारी नहीं होने से अपीलांट्स द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री के विरूद्ध माननीय राजस्व मण्डल ने अंदर अवधि कार्यवाही प्रस्तुत कर दी थीं। माननीय राजस्व मण्डल

Scanned with OKEN Scanner

अजमेर द्वारा निर्णय दिनांक 25.04.2011 प्रार्थी अपीलांट का प्रार्थना पत्र खारिज करते हुए सक्षम न्यायालय में अपील प्रस्तुत करने हेतु स्वतंत्र रहते हुए आदेशित किया। जिसकी नकल दिनांक 25.05.2011 को प्राप्त करने पर माननीय राजस्व मण्डल के आदेश की पालना में नकल प्राप्ति से अंदर अवधि अपील प्रस्तुत की गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधिविरूद्ध रूप से अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित की गई हैं। अपीलांट वादीगण द्वारा मृतक पक्षकारान छीतर, नसीबा, जफरू, जरीफी, नाथू के विरूद्ध कोई अनुतोष नहीं चाहा गया था तथा न ही उनके विरूद्ध कोई आदेश पारित किया गया। उक्त व्यक्ति वादपत्र में फॉर्मल पक्षकार थें। इसके बावजूद अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मृतक के विरूद्ध दावा मानते हुए वादपत्र खारिज करने में भूल की हैं। अतः विलंबकाल सद्भाविक होने, मृतक पक्षकारान के विरूद्ध कोई अनुतोष नहीं चाहने एवं माननीय राजस्व मण्डल द्वारा अपीलांट को सक्षम न्यायालय में अपील प्रस्तुत करने की स्वतंत्रता प्रदान करने से विलंबकाल माफ किया जाकर अपील अपीलांट अंदर म्याद शुमार फरमावें।

2. विद्वान अधिवक्ता रेस्पोंडेंट ने बहस के दौरान अपीलांट प्रार्थीगण के कथनों का खण्डन करते हुए निवेदन किया कि अपीलांट द्वारा जानबूझकर विलंब से अपील प्रस्तुत की गई हैं। जो म्याद बाहर होने से खारिज फरमावें।

3. पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलांट्स द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत वादपत्र अंतर्गत धारा 53, 88, 188 व 92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अंतर्गत प्रस्तुत वादपत्र में अपीलांट्स द्वारा प्रतिवादी संख्या 1 से 4 के विरूद्ध अनुतोष चाहा गया है। जबकि प्रतिवादी संख्या 7 से 11 फौत होना अंकित है। जिनके विरूद्ध किसी प्रकार का अनुतोष नहीं चाहा गया है। अपीलांट वादीगण द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री के विरूद्ध माननीय राजस्व मण्डल में सर्वप्रथम अंदर म्याद निगरानी प्रस्तुत की गई तथा चूंकि आदेश 7 नियम 11 डी के अंतर्गत प्रार्थना पत्र स्वीकार कर वादपत्र खारिज किया गया था। अतः ऐसी स्थिति में प्रकरण में निगरानी नहीं होकर अपील की जानी चाहिए थीं तथा इसी आधार पर माननीय राजस्व मण्डल द्वारा रिवीजन खारिज करते हुए प्रार्थीगण को अपील प्रस्तुत करने की स्वतंत्रता प्रदान की थीं। यहां हमारा यह विनम्र मत है कि पक्षकारान ग्रामीण परिवेश के काश्तकार होते हैं, जिन्हें जटिल विधिक प्रक्रियाओं व प्रावधानों का ज्ञान नहीं होता है तथा इसके लिए उनकी ओर से अधिवक्ता नियुक्त किया जाता है। प्रकरण में रिवीजन की जानी चाहिए या फिर यह विशुद्ध रूप से विधिवेत्ता की सलाह पर निर्भर करता है तथा हस्तगत प्रकरण में अपील अंदर म्याद अपील प्रस्तुत नहीं कर रिवीजन प्रस्तुत करने का निर्णय विधिवेत्ता की त्रुटिपूर्ण सलाह पर आधारित था। जिसके लिए किसी भी दशा में प्रार्थीगण को जिम्मेदार व लापरवाह नहीं ठहराया जा सकता। हमारे विनम्र मत में प्रकरण का निर्णय कठोर तकनीकी प्रक्रियागत आधार पर नहीं होकर गुणावगुण पर होना चाहिए तथा इसके लिए पक्षकारान को सुनवाई का अवसर दिया जाना चाहिए। हस्तगत प्रकरण में विलंब वस्तुतः कानूनी पेचीदगियों की अनभिज्ञता के कारण हुआ है। यह किसी भी दृष्टि से पक्षकारान की उदासीनता या लापरवाही के कारण नहीं हुआ है।

Scanned with OKEN Scanner

अतः विलंबकाल सद्भाविक, युक्तियुक्त व उचित होने से विलंबकाल माफ किया जाकर प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अपील अपीलांट अंदर म्याद शुमार की जाती हैं।

4. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय में अपीलांट द्वारा रेस्पोंडेंट्स प्रतिवादीगण के विरूद्ध खातेदारी अधिकारों की घोषणा, बंटवाडा व स्थाई निषेधाज्ञा बाबत वादपत्र अंतर्गत धारा 53, 88, 188 व 92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 दिनांक 18.02.2006 को पेश किया। वादीगण अपीलांट द्वारा प्रतिवादी संख्या 1 से 4 के विरूद्ध वादग्रस्त सहखातेदारी भूमि का बंटवाड़ा, घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा बाबत मुख्य अनुतोष चाहा गया। शेष प्रतिवादीगण प्रकरण में औपचारिक पक्षकार है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वादपत्र में प्रतिवादी संख्या 7 से 11 वादपत्र प्रस्तुत करने से पूर्व ही फौत होने का संज्ञान होने के आधार पर वादपत्र अंतर्गत आदेश 7 नियम 11 डी सपठित धारा 151 के अंतर्गत **Suit against a dead person – suit a nullity** मानते हुए वादपत्र खारिज कर दिया गया। हमारे विनम्र मत में पत्रावली के अवलोकन मात्र से यह स्पष्ट है कि प्रकरण में सर्वप्रथम तो अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय में कहीं पर भी यह अंकित नहीं किया गया है कि वादपत्र किन विधिक प्रावधानों से वर्जित/बाधित होना माना गया है। साथ ही वादीगण द्वारा प्रतिवादी संख्या 7 से 11 के विरूद्ध सारवान रूप से प्रत्यक्षतः कोई अनुतोष नहीं चाहा गया है। साथ ही वादपत्र सहखातेदारी भूमि के बंटवाड़ें से संबंधित होने से किसी सहखातेदार की मृत्यु होने से ऐसे वादपत्र अबेट नहीं माने जा सकते। वादीगण द्वारा वादग्रस्त आराजी की जमाबंदी की प्रविष्टियों के आधार पर पक्षकार संयोजित किए जाते हैं तथा यदि कोई पक्षकार वादपत्र प्रस्तुत करने से पूर्व फौत हो चुका हों तथा वादी को उसके वारिसान की जानकारी नहीं हों तो ऐसे मृतक पक्षकारान के विधिक वारिसान आदेश 1 नियम 10 सीपीसी के अंतर्गत रिकॉर्ड पर लिए जा सकते हैं। न्यायालय का यह भी कर्तव्य होता है कि वह सही पक्षकारान को संयोजित करने के लिए वादीगण को निर्देशित कर सकता है तथा गलत पक्षकारान को वादपत्र से वियोजित भी कर सकता है। लेकिन यह किसी भी दृष्टि से आदेश 7 नियम 11 डी के अंतर्गत वादपत्र को खारिज करने का आधार नहीं हो सकता। अतः हमारे विनम्र मत में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री द्वारा वादपत्र को विधि वर्जित मानकर गंभीर भूल की हैं। अतः अपीलाधीन निर्णय व डिक्री विधिविरूद्ध व त्रुटिपूर्ण है। लिहाजा, हमारे विनम्र मत में अपील अपीलांट बखूबी साबित होने व सारवान होने से स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 06.03.2009 को अपास्त किया जाकर प्रकरण विधिनुरूप निर्णयन के लिए अधीनस्थ न्यायालय को निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाना पूर्णतया विधिसम्मत व उचित होगा।

आदेश

अतः निष्कर्षतः अपील अपीलांट अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बखूबी साबित होने व सारवान होने से स्वीकार की जाकर अधीनस्थ

Scanned with OKEN Scanner

न्यायालय सहायक कलक्टर रायपुर द्वारा राजस्व वाद संख्या 117/2008 (29/1986) बअनवान अर्जुनसिंह बनाम अनोपसिंह वगैरह में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 06.03.2009 अपास्त कर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वादीगण वादपत्र में मृतक पक्षकार प्रतिवादी संख्या 7 से 11 के विधिक वारिसान को नियमानुसार पक्षकार संयोजित करने या पक्षकार वियोजित करने के लिए विधिसंगत कार्यवाही करें। विचारण न्यायालय उभयपक्षकारान को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए आज्ञापक विधिक प्रावधानों व प्रक्रियाओं का पूर्णतया अनुशीलन करते हुए प्रकरण को विधिनुरूप निर्णित करें। उभयपक्षकारान जरिये अधिवक्तागण पाबंद किया जाता है कि वे दिनांक 30.04.2025 को न्यायालय सहायक कलक्टर रायपुर जिला ब्यावर में असालतन/वकालतन उपस्थित रहें। निर्णय की प्रमाणित प्रतिलिपि के साथ अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख लौटाया जावें। पत्रावली इसी मुताबिक निर्णित की जाकर बाद तकमील संख्या से एक कम होकर दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक **27.03.2025** को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर एवं न्यायालय मुहर के सर–ए–इजलास सुनाया गया।

(डॉ0 भास्कर बिश्नोई)
राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली

Scanned with OKEN Scanner